

छत्तीसगढ़ भागीदारी नियम, 1951

- 1- **संक्षिप्त नाम** - ये नियम "छत्तीसगढ़ भागीदारी (फर्मों का पंजीयन) नियम, 1951" कहे जाएंगे।
परिभाषाएँ- इन नियमों में जब तक कोई बात विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल न हो, -
(अ) "अधिनियम" से तात्पर्य " भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932"
(ब) "फर्म" से तात्पर्य वह फर्म जिस पर अधिनियम लागू होता हो,
- 2- (स) "पंजीयक" से तात्पर्य "फर्मों का पंजीयक" है।
- 3- **धारा 58 एवं 60 के अंतर्गत विवरणी का प्रपत्र का सत्यापन** - अधिनियम की धारा 58 एवं 60 के अंतर्गत पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी इन नियमों के साथ संलग्न क्रमशः प्रपत्र I तथा II में होंगी और उन प्रपत्रों के अंत में दी गई टीप में बताई गई रीति में सत्यापित की जाएंगी।
- 4- **धारा 61, 62 एवं 63 के अंतर्गत सूचनाओं तथा नोटिसों के प्रपत्र** - (1) अधिनियम की धारा 61, 62, 63(1) एवं 63(2) के अंतर्गत सूचनाएं तथा नोटिसें इन नियमों से संलग्न क्रमशः प्रपत्र III, IV, V, व VI परिस्थितिनुसार वांछित परिवर्तन सहित होंगी।
- 5- **पंजीयक का जांच तथ अनुसंधान का अधिकार** - पंजीयक अपने स्वविवेक से किसी विषय के संबंध में, अपने कर्तव्य के समुचित प्रतिपादन तथा अधिनियम के प्रशासन के निमित्त अथवा किसी फर्म से संबंधित विवाद के निर्णयन हेतु, ऐसी जांच संस्थित कर सकेगा अथवा अनुसंधान कर सकेगा, जो उसके मतानुसार आवश्यक हो।
- 6- **फर्मों की पंजी** - फर्मों की पंजी इन नियमों से संलग्न अंग्रेजी प्रपत्र टप्पू में होगी। उसमें प्रत्येक फर्म का नाम और संबंधित विवरण उसके पंजीयन क्रमानुसार एक पृथक पृष्ठ अथवा पृष्ठों में प्राविष्ट किया जाएगा प्रत्येक फर्म को वित्तीय वर्ष (1अप्रैल) से आरंभ होने वाली क्रमवार श्रृंखला में क्रमांक आबंटित किया जाएगा प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दस्तावेजकी टीप का इद्राज संबंधित फर्म को पंजी में आबंटित पृष्ठ अथवा पृष्ठों में किया जाएगा और पंजीयक द्वारा हस्ताक्षतरित होगा । प्रविष्टिया करने के पश्चात पृष्ठों की जिल्दबंदी प्रत्येक फर्म को पंजीयन कर आबंटित सिलसिलेवार क्रमांक में बिना सिले पन्ने वाले पंजियों में की जाएगी।
- 7- **पंजी में प्रविद्गिटयों का संशोधन**- जब फर्मों की पंजी में दर्ज प्रविष्टि का संशोधन करना हो, तो संबंधित प्रविष्टि के समक्ष विशेष विवरण खाने में उपयुक्त टीप देते हुए प्रविष्टि के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाल रेखा खींचकर संशोधन दर्शित किया जाएगा तथा नई प्रविष्टि पूर्व से विद्यमान प्रविष्टि अथवा प्रविष्टियों के अंत में उपयुक्त प्रति-संदर्भ सहित अंकित की जाएगी।

8- **पंजी में प्रविष्टियों के विरुद्ध विरोध** - जहाँ कोई भागीदार अथवा हितबद्ध अन्य व्यक्ति फर्मों की पंजी में की गई किसी प्रविष्टि पर विवाद करना चाहता हो, तो वह अपने विवाद को लिखित में पंजीयक को संसूचित करेगा तथा पंजीयक तत्समय विद्यमान प्रविष्टियों के अंत में इंड्राज करेगा और ऐसी विवादित प्रविष्टि के समक्ष विशेष विवरण खाने में विवादित प्रविष्टि को लाल स्याही से संदर्भित करेगा।

9- **फर्मों की पंजी में अनुक्रमणिका** - (अ) फर्मों की पंजी में अनुक्रमणिका वर्णाक्षर क्रम से बिना सिले पन्नों पर अंग्रेजी में बनाई जाएगी और उसमें इन नियमों से संलग्न प्रपत्र टप्प् (आठ) में वर्णित विवरण शामिल किये जाएंगे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अल अनुक्रमणिका तैयार की जाएगी। फर्मों की पंजी में जैसे ही किसी फर्म से संबंधित प्रविष्टियाँ की जाती हैं, उस प्रत्येक फर्म का नाम अनुक्रमांकित किया जाएगा।

(ब) एक वर्ष में पंजीकृत फर्मों को अनुक्रमणिका में शामिल करने के पश्चात पंजीयक द्वारा अनुक्रमणिका का परीक्षण किया जाएगा जो ऐसे परीक्षण के प्रमाणस्वरूप सत्यापन करेगा और तब पृष्ठों को स्याही से क्रमांकित किया जाएगा।

9- (स) प्रत्येक वर्ष की अनुक्रमणिका को, उसका परीक्षण होने के पश्चात, सुविधाजनक आकार के खण्डों में जिल्द बंद किया जाएगा।

10- **जहाँ मूल अंग्रेजी में न हो वहाँ अनुवाद की प्रस्तुति** - जब अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाने वाला कोई दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज का कोई भाग अंग्रेजी भाषा में न हो, ऐसा दस्तावेज अथवा उसके भाग का अंग्रेजी अनुवाद, जो कम से कम एक भागीदार (या उसके प्राधिकृत एजेंट) द्वारा सही होना प्रमाणित किया गया हो, पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

11- **पंजीयन तथा दस्तावेजों की पावती** - (अ) फर्म के पंजीयन उपरान्त इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र IX (नौ) में उस फर्म को पंजीयक एक पावती प्रदान करेगा और अधिनियम के अंतर्गत वांछित किसी दस्तावेज के प्रस्तुत किये जाने पर वह उस व्यक्ति को, जिसके अनुरोध पर वह दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, इन नियमों से संलग्न प्रपत्र X (दस) में पावती प्रदान करेगा।

(ब) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अथवा प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज पर पंजीयक निम्नलिखित विवरण पृष्ठांकित करेगा।

(1) पंजी में फर्म द्वारा धारित क्रमांक,

(2) दस्तावेज का अनुक्रमांक, तथा

(3) पंजीयन अथवा प्रस्तुतिकरण की तिथि।

ऐसे दस्तावेज पर पंजीयक अपना हस्ताक्षर तथा अपने कार्यालय की मुहर भी अंकित करेगा।

12-दस्तावेजों की प्रस्तुति - प्रत्येक फर्म के संबंध में पृथक नस्ती बनाई जाएगी, जिसमें समय-समय पर पंजीयक द्वारा प्राप्त किये गये जाने वाले उसे संबंधित दस्तावेज नस्तीबद्ध किए जाएंगे। कोई दस्तावेज, जब तक उसके लिये निर्धारित शुल्क अदा नहीं किया गया है। पंजीयक द्वारा नस्तीबद्ध नहीं किया जाएगा।

13-शुल्क हेतु लेखा तथा रसीद - पंजीयक के कार्यालय में प्राप्त हुए समस्त शुल्को का प्रपत्र XI (ग्यारह) में लेखा रखा जाएगा। प्राप्त होने वाले प्रत्येक शुल्क के संबंध में प्रपत्र XII (बारह) में रसीद दी जाएगी।

14. मूल दस्तावेजों का निरीक्षण - नियम 19 में निर्धारित शुल्क का भुगतान होने पर फर्मों की पंजी तथा अभिलिखित अन्य सभी दस्तावेज पंजीयक को लिखित आवेदन दिये जाने पर कार्यावधि में जांच हेतु उपलब्ध रहेंगे। इसी तरह पंजीयक के कार्यालय में रखी गई दस्तावेजों की नस्ती किसी व्यक्ति द्वारा उसके लिए आवेदन करने पर जांच हेतु खोली जाएगी, बशर्ते कि आवेदक जिन दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु उसने आवेदन दिया है, उन दस्तावेजों की इबारत में उसका पर्याप्त हित निहित होने के संबंध में पंजीयक को संतुष्ट कर दे तथा यह कि केवल फर्मों की पंजी के निरीक्षण से उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। सभी अभिलेखों का निरीक्षण पंजीयक अथवा उसके द्वारा इस संबंध में नियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाएगा। पंजीयक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति आवेदक को दस्तावेज का निरीक्षण करते समय ऐसे किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने या बनवाने की अनुमति नहीं देगा, किन्तु वह आवेदक के फर्मों की पंजी में दस्तावेज के ऐसे विवरणों को, जो उसकी किसी प्राविष्टि अथवा उसके भाग की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन करने में सहायक हो सके, पेंसिल से लिखने की अनुमति दे सकेगा।

15. प्रतिलिपियों के लिए आवेदन लिखित में होना - फर्मों की पंजी में किसी प्राविष्टि या उसके भाग की प्रतिलिपि हेतु अथवा नियम 11 के अंतर्गत प्रदत्त पावती की प्रतिलिपि हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र लिखित में होगा जिसके साथ नियम 19 के अनुसार निर्धारित आवश्यक प्रतिलिपि शुल्क देय होगा।

16. मुहर - पंजीयक द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली मुहर में द्राब्द "फर्मों का पंजीयक, छत्तीसगढ़" अंकित होंगे।

17. पंजियों तथा अभिलेखों का परिरक्षण एवं विलोपन - I. निम्नलिखित पंजियों तथा कागजात स्थायी रूप से रखे जाएंगे -

- (अ) फर्मों की पंजीय
- (ब) विद्यमान फर्मों के सभी पंजीकृत दस्तावेज
- (स) विघटित फर्मों के पंजीयन प्रमाण पत्र
- (द) विघटन आदेश
- (इ) छत्तीसगढ़ शासन के विधिक स्मरण कराने वाले को प्रेद्गित निवेदन पत्र
- (फ) विधिक स्मरण कराने वाले का अभिमत

- (ग) विधि में हुए संशोधनों तथा उनके जवाबों के संबंध में राज्य शासन को प्रेषित रेफरेंस और उनके जवाब
- (ह) अनुक्रमणिका पंजी
- II. निम्नांकित पंजियां तथा कागजात पाँच वर्ष के पश्चात नष्ट किये जाएंगे :
- (अ) रोकड़ पुस्तिका
- (ब) शुल्क पंजी
- (स) उपरोक्त के अतिरिक्त विघटित हुए फर्मों के कागजात
- (द) उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शासन को प्रेषित रेफरेंस
- III. निम्नांकित पंजियाँ तथा कागजात आगामी 1 अप्रैल से दो वर्षपश्चात नष्ट किए जाएंगे :
- (अ) रसीद बही
- (ब) जावक पंजी
- (स) अन्य रोजमर्रा के पत्राचार
- (द) प्रपत्रों हेतु जारी मांगपत्र
- (इ) कोषलय की रसीदें
- IV. निम्नांकित पंजियां तथा कागजात आगामी 1 अप्रैल से एक वर्षपश्चात नष्ट किए जाएंगे :
- (अ) स्मरण पत्र
- (ब) विलम्ब के स्पद्गटीकरण

18. निष्क्रिय फर्मों के पंजीयन का रद्दकरण - (i) जब पंजीयक को यह विश्वास करने का कारण हो, कि कोई पंजीकृत फर्म व्यवसाय नहीं कर रहा है, अथवा उसका संचालन नहीं हो रहा है, अथवा वह अंतिम रूप से भंग कर दिया गया है किन्तु विहित निषेधाज्ञा नहीं दी गई है, तो वह फर्म के प्रत्येक भागीदार को उसके अंतिम ज्ञात पते पर यह जानकारी मांगते हुए डाक द्वारा पत्र प्रेषित करेगा कि क्या फर्म कारोबार कर रहा है अथवा वह संचालित हो रहा है ?

(ii) यदि पंजीयक किसी भी भागीदार से यह उत्तर प्राप्त करता है कि फर्म कारोबार नहीं कर रहा है अथवा संचालन नहीं हो रहा है अथवा यदि उसे पत्र प्रेषित करने के एक माह के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो वह सभी भागीदारों को डाक द्वारा सूचित करते हुए "म.प्र. राजपत्र" में नोटिस प्रकाशित करेगा कि नोटिस दिनांक के तीन माह व्यतीत होने पर उसमें अंकित फर्म का नाम, जब तक कि उसके विपरीत कारण न दर्शाया जाय, विलोपित किया जाएगा तथा फर्म भंग किया जायेगा और उसका पंजीयन निरस्त माना जाएगा।

(iii) नोटिस में अंकित समय व्यतीत होने पर, जब तक कि भागीदारों द्वारा पहले से कारण न दर्शाया जाय, पंजीयक फर्म का नाम पंजी से विलोपित करेगा तथा इस तथ्य का छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन करेगा और ऐसे प्रकाशन पश्चात फर्म को भंग हुआ माना जाएगा।

19. शुल्क - (i) अधिनियम की धारा 66 तथा 67 के प्रावधानों के अंतर्गत निरीक्षण एवं प्रतियों के प्रदाय हेतु निम्नांकित शुल्क वसूले जाएंगे :-

(1) नियम 14 के अंतर्गत प्रत्येक निरीक्षण हेतु - पंजी के एक खण्ड अथवा फर्म से संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु - 27 रुपये,

(2) नियम 15 के अंतर्गत किसी दस्तावेज अथवा उसके सारांश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु प्रत्येक सौ शब्द अथवा उसके भाग के लिए - 12 रुपये,

(3) नियम 11 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयन की पावती (अभिस्वीकृति) की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु - एक रुपया।

(ii) अधिनियम अथवा इन नियमों के अंतर्गत किसी फर्म या व्यक्ति द्वारा देय शुल्क शशकीय कोषालय में जमा किया जाएगा और ऐसे भुगतान किये जाने के प्रमाण स्वरूप कोषालय की रसीदे पंजीयक के कार्यालय को प्रदत्त अथवा प्रेषित की जाएंगी अथवा वे उनके कार्यालय में जमा की जाएंगी और ऐसे भुगतान की रसीद प्राप्त की जाएगी।

20. दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण - पंजीयक के समक्ष दर्ज किये जाने वाले दस्तावेज छपे हुए या टंकित होंगे और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा प्रदान किये जाएंगे। केवल मौखिक सूचना पर कोई तथ्य अभिलिखित नहीं किया जाएगा।

21. कार्यालय अवधि - पंजीयक का कार्यालय (रविवार और अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्य हेतु पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक खुला रहेगा।

प्रपत्र - I (देखें नियम 3)

प्रस्तुतिकरण शुल्क रु. 200=00

फर्म के नाम द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

..... द्वारा फर्मों के पंजीयन के समक्ष प्रस्तुत अथवा अग्रेषित।

हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, फर्म के भागीदार होने के नाते एतद्वारा उक्त फर्म के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं और तदाशय धारा 58 भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अनुसार निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं :-

फर्म का नाम

व्यवसाय स्थल

(अ) मुख्य स्थान

(ब) अन्य स्थान

भागीदारों का पूरा नाम	फर्म में प्राविष्ट होने का दिनांक	स्थायी पूर्ण पता
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		

फर्म की अवधि

स्थान

भागीदारों अथवा उनके विशेष

दिनांक

प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर

मैं, ... आत्मज आयु वर्ष ,
एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास से सत्य एवं सही है।
दिनांक

साक्षी

हस्ताक्षर

मैं, ... आत्मज आयु वर्द्धा,
एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास से सत्य एवं सही है।
दिनांक
साक्षी

यदि भागीदार अवयस्क है, तो इस तथ्य का, कि क्या वह भागीदारी का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, उसमें उल्लेख होना चाहिए।

नोट :- यह प्रपत्र सभी भागीदारों अथवा इस हेतु उनके विशेष प्राधिकृत एजेंटों द्वारा साक्षी अथवा साक्षियों, जो या तो राजपत्रित अधिकारी, अधिवक्ता, वकील अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, के समक्ष हस्ताक्षरित होना चाहिए।

प्रपत्र - II
(देखें नियम 3)

प्रस्तुतिकरण शुल्क रु. 25=00

फर्म के नाम अथवा व्यवसाय के मुख्य स्थान की स्थिति
में परिवर्तन की विवरणी

..... द्वारा फाईल करने हेतु फर्मों के पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत अथवा अग्रेषित
हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, बहैसियत भागीदारान फर्म पंजीयन क्रमांक
..... पंजीयन दिनांक एतद्वारा भारतीय भागीदारी अधिनियम
1932 की धारा 60(1) के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित विवरण की आपूर्ति करते हैं:
फर्म का नाम पंजीकृत क्रमांक दिनांक

पूर्ववर्ती नाम	नया नाम
(1)	(2)

व्यवसाय का मुख्य स्थान

पूर्ववर्ती स्थान	नया स्थान
(1)	(2)

स्थान

दिनांक

भागीदारों अथवा उनके विशेष
प्राधिकृत एजेंटों के हस्ताक्षर

मैं, ... आत्मज आयु वर्ष ,
एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास से सत्य एवं सही है।
दिनांक

साक्षी

हस्ताक्षर

मैं, ... आत्मज आयु वर्ष,
एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास से सत्य एवं सही है।
दिनांक

साक्षी

हस्ताक्षर

नोट :- अवांछित विषय को काट दें।

प्रपत्र - III
(देखें नियम 4)

प्रस्तुतिकरण शुल्क रु. 25=00

व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन की सूचना
(व्यवसाय के मुख्य स्थान से भिन्न)

..... के फाईल करने हेतु फर्मों के पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत अथवा अग्रेषित

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 61 के अंतर्गत एतद्वारा सूचना दी जाती है कि फर्म के व्यवसाय के स्थान में नीचे दर्शाये अनुसार परिवर्तन हो गया है :

पंजीयन क्रमांक पंजीयन दिनांक परिवर्तन दिनांक

(1) फर्म ने पर व्यवसाय बंद कर दिया है।

(2) फर्म ने पर व्यवसाय आरंभ कर दिया है।

स्थान

दिनांक

फर्म के किसी भागीदार अथवा
एजेंट का हस्ताक्षर

प्रपत्र - IV
(देखें नियम 4)

प्रस्तुतिकरण शुल्क रु. 25=00

भागीदारों के नाम अथवा स्थायी पते में परिवर्तन की सूचना

..... के फाईल करने हेतु फर्मों के पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत अथवा अग्रेद्वारा

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 62 के अंतर्गत एतद्वारा सूचना दी जाती है कि फर्म भागीदारों के नाम अथवा/और स्थायी पते में नीचे दर्शाये अनुसार परिवर्तन हो गए हैं :

पंजीयन क्रमांक पंजीयन दिनांक परिवर्तन दिनांक

भागीदार का नाम

.....

पूर्ववर्ती पूरा नाम	नया पूरा नाम
(1)	(2)

भागीदार का पता

भागीदार का नाम

पूर्ववर्ती पूर्ण स्थायी पता	वर्तमान पूर्ण पता
(1)	(2)

--	--

स्थान

दिनांक

फर्म के किसी भागीदार अथवा
एजेंट का हस्ताक्षर

नोट :-अवांछित विषय को काट देवे ।

प्रपत्र - V
(देखें नियम 4)

प्रस्तुतिकरण शुल्क रु. 25=00

फर्म के गठन में परिवर्तन अथवा फर्म के विघटन की सूचना

..... द्वारा फाईल करने हेतु फर्मों के पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत अथवा अग्रेषित भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 62(1) के अंतर्गत एतद् द्वारा सूचना दी जाती है, कि -

(1) फर्म पंजीयन क्रमांक पंजीयन दिनांक का गठन निम्नानुसार परिवर्तित कर दिया गया है -

आगंतुक भागीदार का नाम और पूर्ण पता तथा फर्म में उसके प्रवेश करने का दिनांक	बहिर्गामी भागीदार का नाम और पूर्ण पता तथा उसकी भागीदारी समाप्ति का दिनांक
(1)	(2)
व्यवसाय का मुख्य स्थान	
पूर्ववर्ती स्थान	नया स्थान
(1)	(2)

स्थान

दिनांक

आगंतुक, अविरल अथवा बहिर्गामी भागीदार
अथवा उसके विशेष प्राधिकृत एजेंट का हस्ताक्षर

(2) फर्म पंजीयन क्रमांक पंजीयन दिनांक को प्रभावी दिनांक से विघटित कर दिया गया है।

स्थान

दिनांक

ऐसे व्यक्ति जो विघटन के तुरंत पहले भागीदार था
अथवा उसके विशेष प्राधिकृत एजेंट का हस्ताक्षर

प्रपत्र - VI
(देखें नियम 4)

प्रस्तुतिकरण शुल्क रु. 25=00

व्यवस्कता प्राप्ति पर भागीदारी के लाभ में शामिल हुए

व्यक्ति द्वारा चुनाव की सूचना

..... द्वारा फाईल करने हेतु फर्मों के पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत अथवा अग्रेषित

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 62(2) के अंतर्गत एतद् द्वारा सूचना दी जाती है,
कि फर्म पंजीयन क्रमांक पंजीयन दिनांक
..... की भागीदारी के लाभ में को शामिल किया गया था, जो अब
व्यवस्कता प्राप्त कर चुका है, उक्त फर्म का भागीदार बनने का चुनाव करता है/भागीदार नहीं बनने का
चुनाव करता है।

स्थान

दिनांक

चुनाव करने वाले व्यक्ति अथवा उसके
विशेष प्राधिकृत एजेंट का हस्ताक्षर

प्रपत्र - VII
(देखें नियम 6)

फर्मों की पंजी

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अंतर्गत संधारित -

1. फर्म का अनुक्रमांक
2. फर्म का नाम
3. पंजीयन का दिनांक
4. फर्म का जीवनकाल

5. पता	परिवर्तन की तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)

6. भागीदारान -

भागीदारों के नाम	पता	प्रवेश तिथि	भागीदारी समाप्ति तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

7. व्यवसाय का मुख्य स्थान और उसमें परिवर्तन -

स्थान संबंधी विवरण	परिवर्तन तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)

8. व्यवसाय का अन्य स्थान -

स्थान का नाम	खुलने की तिथि	बंद होने की तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)

9. फर्म का नाम -

दस्तावेज का अनुक्रमांक	दस्तावेज का विवरण	प्रस्तुति की तिथि	हस्ताक्षर पंजीयक
(1)	(2)	(3)	(4)

प्रपत्र - VIII

(देखें नियम 9)

फर्मों की पंजी में अनुक्रमणिका

फर्म का नाम	भागीदारों के नाम	व्यवसाय का मुख्य स्थान	व्यवसाय	खण्ड क्रमांक	प्रविष्ट का प्रथम पृष्ठ	पंजी पर अंकित क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्रपत्र - IX

(देखें नियम 11(अ))

फर्मों की पंजीयन की पावती

फर्मों के पंजीयक, छत्तीसगढ़, एतद् द्वारा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 58(1) द्वारा निर्धारित विवरणी प्राप्त होने की पावती प्रदान करते हैं।

विवरणी को फर्मों की पंजी में प्रविष्ट कर लिया गया है यथा, ...क्रमांक सन् 20 मुहर
फर्मों का पंजीयक दिनांक माह सन् 20.....

प्रपत्र - X

(देखें नियम 11(अ))

फर्मों के पंजीयक, छत्तीसगढ़ एतद् द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज उसे के लिए प्राप्त होने की तथा सामने अंकित शुल्क प्राप्त होने की पावती प्रदान करते हैं, और सूचित करते हैं कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा के संदर्भ में किया गया है।

दिनांक माह सन् 20...../क्रमांक
फर्मों के पंजीयक दिनांक सन् 20.....

उनके/उसके पत्र क्रमांक दिनांक के संदर्भ में के प्रबंधक एजेंटों/भागीदारों को अग्रेषित।

फर्मों का पंजीयक

प्रपत्र - XI
(देखें नियम 13)
 शुल्क पंजी

प्राप्ति दिनांक	प्राप्त राशि	किससे प्राप्त हुई	किस लेखा में	शाशकीय कोषालाय में राशि भेजने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	रु. पै.			

प्रपत्र - XII
(देखें नियम 13)

शुल्क की पावती

..... से राशि रुपये.....(शब्दों में) रुपये
पैसे प्राप्त हुआ बतौर शुल्क वास्ते -
रुपये पैसे

विवरणी प्रस्तुत करने
 सूचना प्रस्तुत करने
 निरीक्षण करने
 प्रतिलिपि (शब्दों की संख्या)

कुल रुपये

स्थान
 दिनांक

फ़र्मों का पंजीयक